निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1937 (श0)

(सं0 पटना 1219) पटना, शुक्रवार, 9 अक्तूबर 2015

सहकारिता विभाग

————————

अधिसूचना

4 सितम्बर 2015

सं0 5/सह॰/फ॰बी॰–33/2015–**3066**––सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1607 दिनांक 19.05.2015 द्वारा खरीफ–2015 मौसम में राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गयी है, जिसमें गैर ऋणी किसानों के बीमा कराने की अवधि 31.07.2015 तक निर्धारित है। राज्य में धान की रोपनी विलम्ब से होने के कारण विभागीय पत्रांक–2842 दिनांक 17.08.2015 द्वारा खरीफ–2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को दिनांक 31.08.2015 तक विस्तारित करने का अनुरोध भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली को किया गया था। उक्त आलोक में भारत सरकार के पत्रांक–13017/04/2014–Credit-II दिनांक 02.09.15 द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध को मानते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ–2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को दिनांक 15.09.2015 तक विस्तारित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित शर्त हैं :–

1. दिनांक 01.08.15 से दिनांक 15.09.15 तक की अवधि में बोए गए फसल के लिए ही यह विस्तार मान्य होगा।
2. प्रस्ताव पत्र जमा करने तक बोए गये फसलों की स्थिति सामान्य होनी चाहिए और इसकी पुष्टि प्रस्ताव पत्र में होना चाहिए।
3. प्रस्ताव के साथ गैर ऋणी कृषकों को संबंधित प्राधिकार से प्राप्त Area sown certificate जमा करना होगा तथा बैंक उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व इसका सत्यापन करेंगे कि किसान द्वारा प्रस्तुत एल॰पी॰सी॰ से संबंधित जमीन में ही फसल बोया गया है एवं अपने पंजी में भविष्य के लिए संधारित करेंगे।
4. विस्तारित अवधि में बीमा कवरेज सामान्य मूल्य तक सीमित रहेगा। अर्थात् बीमा कवरेज Threshold Yield के मूल्य तक रहेगा। Threshold Yield के ऊपर कोई अतिरिक्त बीमा कवरेज मान्य नहीं होगा।
5. संबंधित बैंकों के द्वारा उक्त विस्तारित अवधि में गैर ऋणी कृषकों के बीमा का घोषणा पत्र ए॰आई॰सी॰ को 30.09.15 तक प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।
6. गैर–ऋणी किसान द्वारा बीमा करने के समय प्रस्तुत किये गये एल॰पी॰सी॰ की जाँच एक माह के अन्दर अनिवार्य होगी। इसके साथ–साथ कम–से–कम 10 (दस) प्रतिशत किसानों के द्वारा प्रस्तुत एल॰पी॰सी॰

का भौतिक सत्यापन भी अनिवार्य होगा। जिला पदाधिकारी के स्तर से इसकी समीक्षा अवश्य की जाएगी। त्रुटि पाये जाने पर उक्त किसान का बीमा रद्द किया जायेगा तथा भविष्य में उक्त किसान का फसल बीमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ उक्त किसान पर कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

7. बीमा करने वाले गैर–ऋणी कृषकों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा इस मौसम में किसी अन्य बैंक के माध्यम से बीमा नहीं कराया गया है।
8. मूल अधिसूचना संख्या–1607 दिनांक 19.05.2015 द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी एवं विस्तारित अवधि में भी प्रभावी होंगी।

तद्नुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ–2015 मौसम में गैर ऋणी कृषकों के लिए बीमा अवधि को उपर्युक्त शर्त्तों के साथ दिनांक 15.09.2015 तक विस्तारित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण मोहन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1219-571+20-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in